न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार –I

राजस्व आवेदन सं. 28 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कमला कंवर पत्नी देवीसिंह 2. जोगराजसिंह पुत्र देवीसिंह 3. प्रेमसिंह पुत्र बलवंतसिंह 4. बागसिंह पुत्र रिडमलसिंह 5. भूपाल सिंह पुत्र बलवंतसिंह 6. रेखा कंवर पत्नी बलवंतसिंह 7. रिडमल सिंह पुत्र मेघसिंह, जातियान– राजपूत, नि0 तुडबी तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान तहसीलदार गडरारोड़। 2. उम्मेद सिंह पुत्र चुतरसिंह 3. मथरा कंवर पत्नी चुतरसिंह 4. मालसिंह पुत्र चुतरसिंह 5. हरि सिंह पुत्र चुतरसिंह, जातियान– राजपूत, नि0 तुडबी तह0 गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री भोपालसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 5
3. राज पेरोकार तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : – 30/12/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा–तुडबी, पटवार मण्डल–हरसाणी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1687 / 1610 रकबा 9.0973 हैक्टेयर की आयी हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खसरा नम्बर 1610 के मध्य पूर्व में लट्ठा ट्रेस मे पृथक से तरमीम अंकित नही थी अभी हाल ही मे राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश (सेग्रीकेशन) अभियान के तहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा मे बिना खातेदारान को सुचित किये एवं बिना खातेदारान् को सुचित किये एवं बिना मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त की जांच किये पृथक तरमीम अंकित **प्रदर्श अ** को निरस्त करते हुए नये सिरे से पक्षकारों के राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 01 से 5 के नोटिस जरिये रजिस्टड डाक से प्राप्त हुए। अतः विप्रार्थी सख्या 02 से 5 की ओर से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी द्वारा वकालात नामा व जवाब पेश कर प्रार्थी आवेदन स्वीकार किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा–तुडबी के खसरा नम्बर 1687 / 1610, 1610 रकबा क्रमशः 9.0973, 9.0973 हैक्टेयर वर्तमान लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम को **प्रपत्र अ** मे दर्शाया गया है, तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम को **प्रपत्र ब** में दर्शाया गया है प्रार्थी व विप्रार्थीगण द्वारा मौके पर **प्रपत्र ब** अनुसार ही तरमीम दुरूस्त कि[illegible] अपनी सहमति दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:17:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं को [illegible] मे उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत् सहमत है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा **प्रदर्श ब** अनुसार उभय पक्ष मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीम

Scanned with OKEN Scanner

रूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नक्शा ट्रेस में विद्यमान वर्तमान तरमीम एक दुसरे के विपरीत है। अतः मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में एकरूपता बनाये रखने के लिए तहसीलदार गडरारोड़ से प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा ट्रेस **प्रदर्श ब** अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा–तुडबी, पटवार मण्डल–हरसाणी, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1687/1610 रकबा 9.0973 हैक्टेयर के लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम व विप्रार्थी संख्या 2 से 5 के खसरा नम्बर 1610 रकबा 9.0973 हैक्टेयर की लट्ठा ट्रेस में कि हुई तरमिम को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ट ब** नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 30.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:17:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner